संख्या:46/2015/625/छप्पन-15-10(3)/04

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 03 जुलाई, 2015**

विषय: जनपद लखनऊ में लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे विस्तार से बंगला बाजार से बिजनौर पथान्तर योजना हेतु अर्जित भूमि ग्राम औरंगाबाद जागीर व गुड़ौरा, परगना तहसील व जिला लखनऊ के वाद संख्या-30/2004, राधेलाल बनाम उ0प्र0 सरकार में पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार अन्य भूस्वामियों द्वारा धारा-28 ए के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में प्रतिकर की धनराशि का भुगतान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-75-76/ना0उ0नि0/2015, दिनांक 21-4-2015 के साथ संलग्न अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) संयुक्त संगठन, लखनऊ के पत्र संख्या-1973/आठ/ अ0जि0अ0(भू0अ0)सं0सं0, दिनांक 25-3-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस आलोक में उल्लेख किया गया है कि जनपद लखनऊ में लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे विस्तार से बंगला बाजार से बिजनौर पथान्तर योजना हेतु अर्जित भूमि ग्राम औरंगाबाद जागीर व गुड़ौरा, परगना तहसील व जिला लखनऊ के वाद संख्या-30/2004, राधेलाल बनाम उ0प्र0 सरकार में पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार अन्य भूस्वामियों द्वारा धारा-28ए के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में ग्राम गुड़ौरा के 16 व ग्राम औरंगाबाद जागीर के 25 प्रार्थना पत्रों का अन्तर्गत धारा-28ए हेतु निस्तारण किया जाना है।

3- यह भी उल्लेख किया है कि जिन किसानों ने भूमि अर्जन अधिनियम की धारा-18 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उनके धारा-28ए के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण इस आशय का शपथपत्र लेकर किया जायेगा कि धारा-18 का संदर्भ उनके द्वारा नाटप्रेस किया जा रहा है। ग्राम गुड़ौरा हेतु रूपये 2,68,99,458/- व ग्राम औरंगाबाद जागीर हेतु रूपये 3,09,53,018/- कुल धनराशि रूपये 5,78,51,476/- (रूपये पॉच करोड़ अठत्तर लाख इक्यावन हजार चार सौ छियत्तर मात्र) की आवश्यकता है। प्रतिकर धनराशि के भुगतान की कार्यवाही जिलाधिकारी, लखनऊ के स्तर से किया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय जनपद लखनऊ में लखनऊ एयरपोर्ट के रनवे विस्तार से बंगला बाजार से बिजनौर पथान्तर योजना हेतु अर्जित भूमि ग्राम औरंगाबाद जागीर व गुड़ौरा, परगना तहसील व जिला लखनऊ के वाद संख्या- 30/2004, राधेलाल बनाम उ0प्र0 सरकार में पीठासीन अधिकारी, नगर महापालिका न्यायाधिकरण द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार अन्य भूस्वामियों द्वारा धारा-28ए के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्रों के सम्बन्ध में प्रतिकर की धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु रूपये 5,78,51,476/- (रूपये पॉच करोड़ अठत्तर लाख इक्यावन हजार चार सौ छियत्तर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त धनराशि निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा द्वारा आहरित कर जिलाधिकारी, लखनऊ के निवर्तन पर रखी जायेगी तथा जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा ग्राम औरंगाबाद जागीर व गुड़ौरा परगना तहसील व जिला लखनऊ के प्रभावित भू-स्वामियों को प्रतिकर की धनराशि का भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से किया जायेगा।

6- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-38 के लेखा शीर्षक "5053-नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-04-विमानपत्तन -800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहत्त निर्माण कार्य" से वहन की जायेगी।

7- उक्त वित्तीय स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30-3-2015 के प्रस्तर-2(17) के अनुसार प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत जारी की जा रही है।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या: 46/2015/625(1)छप्पन-2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एक आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार-प्रथम (आडिट/लेखा), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, लखनऊ।
4- अपर-जिलाधिकारी, (भूमि अध्यासि) सं0 सं0, लखनऊ।
5- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- न्याय अनुभाग-6
8- समीक्षा अधिकारी (बजट)।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।